न्यायालय : जिला न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार

जिला न्यायाधीश संवर्ग

दीवानी अपील आदेश संख्या : 11/2022

सी.आई.एस. नंबर : 11/2022

CNR No : RJBA010012022022

दिनेश कुमार पुत्र चंदाराम, निवासी चम्पा भाखरी भूका, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा ।

..... अपीलार्थी/अप्रार्थी

बनाम

श्रीमती सागर कंवर बेवा भाखरसिंह, निवासी चम्पा भाखरी भूका, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा ।

..... प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 04.08.2022 जो दीवानी विविध प्रकरण सं. 31/2019, बअनवान दिनेश कुमार बनाम श्रीमती सागर कंवर में विद्वान् सिविल न्यायाधीश, बालोतरा द्वारा पारित किया गया

उपस्थित :–

1. श्री अचलाराम थोरी, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्रीमती इन्द्रा चारण, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीया की ओर से ।

–– आदेश ––

दिनांक : 17.03.2026

(1) प्रत्यर्थीया जो कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीया थी के द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद वास्ते प्राप्त करने स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया । साथ ही एक आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता वास्ते प्राप्त करने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय

द्वारा प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन दिनांक 04.08.2022 को स्वीकार किया गया, जिस आदेश के विरुद्ध यह अपील अपीलार्थी जो कि विचारण न्यायालय में अप्रार्थी था के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2022 को पेश की गई है ।

(2) प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया ने विचारण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता निम्न अभिकथन करते हुए प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया कस्बा चम्पा भाखरी, भूका की स्थाई निवासी हैं। ग्राम कस्बा भूंका भगतसिह तहसील सिणधरी सरहद की आबादी भूमि बमौहल्ला बस स्टेण्ड के पास प्रार्थीनी का एक पुश्तैनी पैतृक कब्जाशुद भूखण्ड 30x45 = 1350 वर्गफीट का आया हुआ हैं जिस पर लगभग 50 वर्षों से प्रार्थीया के ससुराल वालों का निर्विवादित कब्जा चला आ रहा हैं जिसको प्रार्थीया के ससुर ने प्रार्थीया के पति के नाम प्लोट कर दिया था जिसका पट्टा भी प्रार्थीया के पति ने पंचायत से बनवाया था जो पट्टा प्रार्थीया के दावे का अंग समझा जावें। प्रार्थीया के कब्जाशुद मालिकाना हक के प्लोट के माप व पड़ौस निम्न प्रकार है :–

भूखण्ड का नाप – उत्तर भुजा 30 फीट, दक्षिण भुजा 30 फीट, पूर्व भुजा 45 फीट, पश्चिम भुजा – 45 फीट कुल 1350 वर्गफीट ।

पडौस – उत्तर में करना डामर रोड़, दक्षिण में – आबादी भूमि, पूर्व में वीरसिंह पुत्र श्री मांगुसिंह का भूखण्ड, पश्चिम में – चम्पाराम पुत्र श्री मिश्राराम ढोली का भूखण्ड ।

उक्त माप व पड़ौस के प्लोट पर प्रार्थीनी का पुश्तैनी कब्जा तथा टाईटल हैं । अप्रार्थी की इस प्लोट को हड़प करने की प्रारम्भ से नियत रही हैं । वह दिनांक 26.05.2018 को भी प्रार्थीया के प्लोट पर अतिक्रमण करने हेतु उतारू हुआ व प्रार्थीया से लड़ाई झगड़ा करता था उस समय भी प्रार्थीया की भरी हुई नीवों को अप्रार्थी ने जेसीबी से खुदवाई थी जिसकी रिपोर्ट सिणधरी थाने में दी थी जिस रिपोर्ट की नकल दावे में संलग्न हैं। अप्रार्थी, प्रार्थीया के पुश्तैनी कदीमी कब्जाशुद प्लोट को दबाने की नीयत से उसकी भरी हुई रांगो पर अतिक्रमण करने पर उतारू हैं । प्रार्थीया बेवा औरत हैं व प्रार्थीया के मात्र एक ही यह प्लोट हैं जिस पर भविष्य में प्रार्थीया अपना पक्का मकान बनायेगी। दिनांक 08.10.2019 को प्रार्थीनी अपने प्लोट पर गई थी तो उसने देखा कि अप्रार्थी कुछ मजदूरों को लेकर प्रार्थीया की बनी हुई नीवों को तोड़ने के लिये उतारू था तब प्रार्थीया ने अपने जेठ मानसिंह को बुलाया फिर भी

वो अतिक्रमण करने पर उतारू हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में वर्णित उक्त भूखण्ड मय मकान पर निर्विवादित कब्जा प्रार्थीनी का रहा हैं मगर दिनांक 08.10.2019 को प्रार्थीया के कब्जाशुदा व पुश्तैनी प्लोट पर अप्रार्थी द्वारा जबरन कब्जा करने की नीयत से तोड़फोड़ कर नुकसान पहुँचाने व नाजायज तौर से अतिक्रमण करने की गरज से तोड़फोड़ करने से वाद स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश का श्री अदालत में पेश किया हैं जिसमें प्रार्थीया को सफल होने की पूर्ण आशा हैं। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ट "अ" पेश किया हैं जिसमें प्रार्थीया का अपना कब्जाशुदा व पुश्तैनी पट्टाशुदा भूखण्ड पर विप्रार्थी के द्वारा नींव को तोड़फोड़ कर नुकसान पहुॅचाने व प्रार्थीया के निर्विवादित कब्जाशुद व पुश्तैनी भूखण्ड में विवाद पैदा करने से अनवान् प्रार्थना पत्र श्री अदालत में पेश किया जा रहा हैं जिससे अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती हैं तो अप्रार्थी को कोई किसी प्रकार की असुविधा नही होगी तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में हैं जिससे उक्त प्रार्थना पत्र श्री अदालत में पेश हैं। वर्तमान में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया को कब्जे से बेदखल करने की नाजायज कोशिश करने से उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध श्री अदालत में पेश किया जा रहा हैं। प्रार्थीया के पट्टाशुदा, पुश्तैनी व कब्जाशुदा भूखण्ड में दखलअंदाजी करने का अप्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अप्रार्थी का उक्त कृत्य अवैध हैं तथा परिशिष्ट ''अ'' में बताये गये प्रार्थीया अपने कब्जाशुदा व पुश्तैनी भूखण्ड के दर्शाये गये पड़ौस के अनुसार कब्जे से बेदखल करने एवं भूखण्ड में बनी तामीरात को किसी तरह से नुकसान पहुँचाने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं । अप्रार्थी का उक्त कृत्य अवैध हैं जिससे प्रार्थीया को विधिक अधिकार की सुरक्षा हेतु अप्रार्थी के विरूद्ध दौरान दावा अस्थाई निषेद्याज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया हैं । उक्त भूखण्ड अप्रार्थी आगे किसी व्यक्ति को बेचान, हस्तांतरण, रहन इत्यादि नहीं करें न ही कोई किसी प्रकार की उक्त भूखण्ड के फर्जी दस्तावेजात तैयार कर अन्य किसी व्यक्ति को बेचान करें न ही प्रार्थीया के उक्त भूखण्ड में दखलअंदाजी पैदा करें व न अन्य से करावें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया ।

(3) अपीलार्थी/अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि पद संख्या 1 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। डिक्री होना तो दूर रहा विधि अनुसार चलने योग्य भी नहीं है। पद संख्या 2 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया का कोई भूखण्ड किसी 30 बाई 45 फिट नाप का या अन्य किसी नाप का कभी भी आया हुआ

नहीं है और न ही किसी नाप के भूखण्ड प्रार्थीया या प्रार्थीया के हक पूर्वाधिकारी का कभी कोई कब्जा ही रहा। जब प्रार्थीया का भूखण्ड ही नहीं रहा तो उसका पट्टा प्रार्थीया के नाम होने के तथ्य गलत है। पद संख्या 3 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। इस पद में वर्णित नाप व पडौस का कोई भूखण्ड मौके पर नहीं है । जानबूझकर गलत पड़ौस का विवरण अंकित किया है। पद संख्या 4 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। जब प्रार्थीया का कोई भूखण्ड ही नहीं है तो उक्त भूखण्ड पर पुश्तैनी कब्जा होने या रहने या टाईटल का होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। प्रार्थीया का कभी कोई कब्जा न तो रहा और न है। पद संख्या 5 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। यदि कथित दिनांक 26.05.2018 को अतिक्रमण की कोई वारदात होती तो प्रार्थीया करीब डेढ वर्ष से अधिक समय तक चुपचाप बैठी नहीं रहती, अवश्य ही इस सबंध में कानूनी चाराजोही करती। प्रार्थीया का कभी कोई कदीमी कब्जा न तो रहा और न है । प्रार्थीया ने कभी कोई वादग्रस्त भूखण्ड पर रांगे नहीं भरी। मौके पर विप्रार्थी का सुस्थापित कब्जा निरन्तर व सतत् रुप से रहा है। प्रार्थीया का यह कथन गलत हैं कि उक्त भूखण्ड एकमात्र प्रार्थीया का भूखण्ड हो, प्रार्थीया का जो भूखण्ड है उसमें प्रार्थीया का रहवास है जो प्रार्थना पत्र से सबंधित नहीं है। पद संख्या 6 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया कभी भी उक्त भूखण्ड पर नहीं आई न उक्त भूखण्ड से प्रार्थीनी का कोई सरोकार ही रहा और न है। किसी मानसिंह को मौके पर विप्रार्थी ने नहीं देखा जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थीया चलने योग्य नहीं है। पद संख्या 7 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। विप्रार्थी का वादग्रस्त भूखण्ड पर सुस्थापित कब्जा वर्षों से निरन्तर व सतत् रुप से कायम रहा व है। प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होने या प्रार्थीया के पक्ष में सुविधा का संतुलन होने के कथन गलत है। पद संख्या 8 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया का वादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा नहीं रहा है इस कारण अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीया को किसी प्रकार की असुविधा या अपूरणीय क्षति नहीं हो रही है । पद संख्या 9 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। विप्रार्थी ने अपने कब्जाशुद भूखण्ड में आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्य किया जिससे प्रार्थीनी का कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थीनी ने सही तथ्यों को छिपाया है जिससे वर्तमान प्रकरण चलने योग्य नहीं है।

(4) विशेष कथनों में यह कथन किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत हैं कि स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के लिये प्रथम आज्ञापक शर्त अनुसार वक्त वाद संस्थितकरण

वादी/प्रार्थी का वादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा होना आवश्यक है अन्यथा स्थायी निषेधाज्ञा के अभाव में वाद पत्र चलने योग्य नहीं है। वर्तमान वादग्रस्त भूखण्ड पर वक्त संस्थितकरण वाद प्रार्थीया का कोई कब्जा नहीं था इसलिये मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं है जिससे उस पर आधारित अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थीया के द्वारा इस पद में वर्णित नाप व पडौस का कोई भूखण्ड मौके पर नहीं है । उक्त तथ्य श्री न्यायालय द्वारा प्रार्थीनी के निवेदन पर नियुक्त मौका कमिश्नर की कमिश्नर रिपोर्ट से ही स्पष्ट है। प्रार्थीया ने अन्य स्थान के दस्तावेज की कूटरचना एवं सही तथ्यों को छिपाकर वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । प्रार्थीया द्वारा साफ हाथों से मामला प्रस्तुत नहीं करने से प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

(5) बहस अपील सुनी गई ।

(6) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में भूखण्ड का नाप 30x45 फीट कुल 1350 वर्गफीट होना जिसकी चतुदर्शी व नाप प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 अनुसार बताई है परन्तु कमिश्नर द्वारा मौका निरीक्षण कर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें जो वादग्रस्त भूखण्ड बताया है उसकी चतुदर्शी एवं नाप प्रत्यर्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित नाप व चतुदर्शी से मेल नहीं खाते है ।

(7) यह भी तर्क दिया कि वादग्रस्त भूखण्ड पर प्रत्यर्थीया का कब्जा नहीं होकर अपीलार्थी का कब्जा है जो तथ्य विचारण न्यायालय में हुए प्रत्यर्थीया के कथनों से साबित है । प्रत्यर्थीया ने केवल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है कब्जा या घोषणा का वाद संस्थित नहीं किया है । यह सुस्थापित विधि है कि कब्जे के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है परन्तु विचारण न्यायालय ने इन समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है । वादग्रस्त भूखण्ड पर अपीलार्थी का शांतिपूर्वक स्थापित कब्जा है ।

(8) यह भी तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रत्यर्थीया के पक्ष में मानकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है । अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार करने एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित

आदेश दिनांक 04.08.2022 को अपास्त करने का निवेदन किया । अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए :-

1. Civ. Times (HC) 2002(1) Surendra Kumar Baid Vs. Rajendra Kumar Baid
2. 2000(2) CCC 2019 (RAJASTHAN) Smt. Chndra Kumari Vs. The State of Rajasthan & Ors.

(9) सर्वप्रथम प्रत्यर्थीया के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर है तथा अपील म्याद बाहर प्रस्तुत करने का कारण अपीलार्थी का काश्तकार होना एवं काश्त का समय होने से अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाना बताया है जबकि अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम के साथ अपीलार्थी के काश्तकार के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं । अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है जिससे अपील इस आधार पर ही अपील खारिज योग्य होना बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

(10) अपीलार्थी की ओर से दिए गए तर्कों का विरोध करते हुए प्रत्यर्थीया के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादग्रस्त सम्पत्ति का पट्टा प्रत्यर्थीया के पति के नाम का ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है जिस पर प्रत्यर्थीया का कब्जा था। प्रत्यर्थीया के कब्जे में अपीलार्थी द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर विचारण न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संस्थित किया साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । प्रत्यर्थीया द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी नहीं की जिस पर प्रत्यर्थीया ने उस आदेश दिनांक 23.10.2019 के विरुद्ध माननीय जिला न्यायालय बालोतरा में अपील संख्या 25/19 पेश की थी जिस पर माननीय जिला न्यायालय बालोतरा द्वारा प्रत्यर्थीया की अपील स्वीकार कर कमीश्नर रिपोर्ट अनुसार मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किए गए थे । प्रत्यर्थीया द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने व मौका कमिश्नर द्वारा मौका निरीक्षण किए जाने के मध्य अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूखण्ड पर निर्माण चालू किया एवं भूखण्ड पर कब्जा करने की कार्यवाही की जो अपीलार्थी का शांतिपूर्वक व सेटलमेंट पजेशन नहीं माना जा सकता है ।

प्रत्यर्थीया वादग्रस्त सम्पत्ति की स्वत्वधारी है जबकि अपीलार्थी के पास में कोई दस्तावेज नहीं है ।

(11) यह भी तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रत्यर्थीया के हक में मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है ।

(12) उभय पक्षकारान की ओर से दिये गये तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिस पर मेरा निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

(13) इस अपील के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैः–

01. प्रथमदृष्टया मामला, 02. सुविधा का संतुलन 03. अपूरणीय क्षति ।

(14) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत नहीं किये जाने से धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है जिससे सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु को तय किया जाता है । अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2022 के विरुद्ध दिनांक 20.09.2022 को यह अपील प्रस्तुत की है तथा अपील विलम्ब से प्रस्तुति का कारण अपीलार्थी को दिनांक 04.08.2022 को पारित आदेश की जानकारी नहीं होना तथा सर्वप्रथम दिनांक 14.09.2022 को जानकारी होते ही आदेश की नकल दिनांक 19.09.2022 को प्राप्त कर बिना देरीना दिनांक 20.09.2022 को अपील प्रस्तुत करना बताया है । अपीलार्थी ने काश्तकार होने एवं काश्त का समय होने से अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाना भी अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण बताया है । पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2022 को आदेश पारित किया गया था जिसकी नकल हेतु अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 14.09.2022 को किया गया एवं दिनांक 19.09.2022 को नकल प्राप्त होने पर दिनांक 20.09.2022 को अपील प्रस्तुत की है । अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब का कारण यह बताया है कि अपीलार्थी को दिनांक 14.08.2022 की जानकारी नहीं थी एवं जानकारी होते ही नकल हेतु आवेदन पेश किया था । अपीलार्थी ने दिनांक 04.08.2022 के आदेश के विरुद्ध दिनांक 20.09.2022 को अपील प्रस्तुत की है । आदेश दिनांक 04.08.2022 के विरुद्ध अपील प्रस्तुति का समय एक माह होकर दिनांक 03.09.2022 तक था लेकिन अपीलार्थी ने दिनांक 14.09.2022 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । दिनांक

03.09.2022 से नकल हेतु आवेदन करने में 11 दिन का विलम्ब हुआ है तथा अपीलार्थी द्वारा 11 दिन का ही विलम्ब अपील प्रस्तुत करने में हुआ है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपील/रिविजन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्ड़ोन करने में उदार दृष्टिकोण रखे जाने बाबत् कई न्यायिक दृष्टांतों में मत व्यक्त किया है तथा अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में केवल 11 दिन का ही विलम्ब हुआ है ऐसी स्थिति में विलम्ब को कण्ड़ोन करने में उदार दृष्टिकोण रखते हुए विलम्ब को कण्ड़ोन करते हुए अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है ।

(15) **प्रथमदृष्टया मामलाः–** जहॉ तक प्रथम दृष्टया मामले का प्रश्न है प्रत्यर्थीया ने उसके कब्जे व मालिकाना का प्रार्थना पत्र में वर्णित भूखण्ड ग्राम भूका भगतसिंह तहसील सिणधरी में स्थित होना जिसका पट्टा ग्राम पंचायत भूका भगतसिंह द्वारा प्रत्यर्थीया के पति के नाम से जारी करना कथन किया है । इसके विपरीत अपीलार्थी का यह कथन है कि वादग्रस्त भूखण्ड पर अपीलार्थी का शांतिपूर्वक एवं स्थापित कब्जा है । अपीलार्थी का प्रश्नगत भूखण्ड पर स्वामित्व होने के संबंध में कोई कथन नहीं रहा है अपितु शांतिपूर्वक एवं स्थापित कब्जा होना बताया है । अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूखण्ड पर उसका स्थापित कब्जा होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर अपीलार्थी का स्थापित व शांतिपूर्वक कब्जा हो । अपीलार्थी का दौराने बहस मुख्य तर्क यह रहा है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रत्यर्थीया का कब्जा नहीं होने से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है ऐसी स्थिति मे अस्थाई निषेधाज्ञा भी स्वीकार नहीं की जा सकती है परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को गौर किए बिना प्रत्यर्थीया के पक्ष में आलोच्य आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है । प्रत्यर्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में किए गए कथनों के अवलोकन से यह पाते है कि प्रत्यर्थीया ने प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा उसके पति के हक में ग्राम पंचायत भूका भगतसिंह द्वारा जारी करना बताया है एवं इस आशय का उल्लेख विचारण न्यायालय के आदेश में भी है । पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि प्रत्यर्थीया द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना दिनांक 14.10.2019 को पेश किया गया था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तब प्रत्यर्थीया ने उस आदेश दिनांक 23.10.2019 के विरुद्ध जिला न्यायालय

बालोतरा में अपील प्रस्तुत की जिस पर जिला न्यायालय बालोतरा द्वारा अपील स्वीकार कर वादग्रस्त स्थल की कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किए गए थे । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 22.10.2019 संलग्न् है जिसके अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर अप्रार्थी/अपीलार्थी दिनेश कमार द्वारा जबरदस्ती अतिक्रमण कर भूखण्ड में निर्माण कार्य करवाया जा रहा था एवं मौके पर कारीगर व मजदूर निर्माण कार्य कर रहे थे । कमीश्नर रिपोर्ट के साथ मौके के फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किए गए है जिनके अवलोकन से भी मौके पर निर्माण कार्य जारी होना एवं कुछ निर्माण किया जाना प्रकट होता है । अपीलार्थी ने वादगस्त भूखण्ड पर उसका शांतिपूर्वक एवं स्थापित कब्जा होना बताया है परन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे भूखण्ड पर उसका स्थापित व पुराना कब्जा होना साबित होता है बल्कि प्रत्यर्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् मौके पर अतिक्रमण कर निर्माण करवाया जाना प्रकट होता है । अपीलार्थी के अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थीया से किये गये प्रति परीक्षण की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है जिसमें उसने इस कथन को सही बताया कि "मौके पर चार दुकानें बनी हुई है जिसमें से दो बिना शट्टर व दो पर शट्टर लगे हुए हैं । पड़ौसी डालूराम जाट के प्लॉट में दुकानें बनी हुई है" । प्रत्यर्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किए गए कथनों से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की तारीख को प्रत्यर्थीया का ही कब्जा होना प्रतीत होता है तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर कब्जा कर निर्माण कार्य करवाये जाने की कार्यवाही करना प्रकट होता है ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि प्रश्नगत भूखण्ड पर वाद प्रस्तुति पूर्व से अपीलार्थी का शांतिपूर्वक एवं स्थापित कब्जा हो । शांतिपूर्वक एवं स्थापित कब्जे को साबित करवाये जाने के लिए कब्जे का लम्बे समय से सतत् व निरन्तर होना आवश्यक है लेकिन ऐसा कोई तथ्य अपीलार्थी की ओर से साबित करवाये जाने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है । प्रत्यर्थीया के पक्ष में प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा है इसके विपरीत अपीलार्थी के पास प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में कोई स्वामित्व नही है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रत्यर्थीया के पक्ष में होना पाया जाता है ।

(16) **02. सुविधा का संतुलन एवं 03. अपूरणीय क्षति–** जहॉ तक सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं का प्रश्न है प्रत्यर्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा उसके पति भाखरसिंह के नाम का ग्राम पंचायत भूका भगतसिंह

द्वारा जारी किया जाना बताया है जबकि अपीलार्थी के पास प्रश्नगत भूखण्ड के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है । जहॉ तक कब्जे का प्रश्न है यह तथ्य मूल प्रकरण में पक्षकारान की साक्ष्य आने के पश्चात् ही तय किए जाने योग्य है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कब्जा स्वामित्व का अनुसरण करता है तथा प्रश्नगत भूखण्ड का स्वामित्व प्रत्यर्थीया के पास में है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया भी मामला प्रत्यर्थीया के पक्ष में है । प्रश्नगत भूखण्ड का स्वामित्व प्रत्यर्थीया के पास है एवं अपीलार्थी के पास स्वामित्व ही नहीं है ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिये जाने की स्थिति में अपीलार्थी को असुविधा या अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न नहीं है । इसके विपरीत यदि वाद के विचारण के दौरान अपीलार्थी को वादग्रस्त भूखण्ड पर अवैध निर्माण किए जाने से नहीं रोका जाता है तो प्रत्यर्थीया को अत्यधिक असुविधा, अपूरणीय क्षति एवं वाद बाहुल्यता भी बढ़ेगी ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रत्यर्थीया के पक्ष में होना पाये जाते हैं ।

(17) अपीलार्थी की ओर से जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं उसमें सुरेन्द्र कुमार वैद्य बनाम राजेन्द्र कुमार वैद्य में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त है कि जिस दिनांक को वाद संस्थित किया था उस दिन वादी कब्जे में नहीं था, जिससे स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होना माना है परन्तु हस्तगत प्रकरण में वाद प्रस्तुति की दिनांक को प्रत्यर्थीया का ही कब्जा होना एवं वाद प्रस्तुति के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर अतिक्रमण करना कमिश्नर रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है जिससे उक्त न्यायिक दृष्टांत से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है ।

(18) श्रीमती चन्द्रा कुमारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि स्वतधारी व्यक्ति कब्जे में नहीं है वह अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । हस्तगत मामले के तथ्यों अनुसार वाद प्रस्तुति के दिन प्रत्यर्थीया प्रश्नगत भूखण्ड के कब्जे मे थी तत्पश्चात् वाद संस्थित किए जाने के बाद अपीलार्थी द्वारा भूखण्ड पर जबरदस्ती अतिक्रमण करना बताया है ऐसी स्थिति में वाद प्रस्तुति के दिन प्रत्यर्थीया का ही कब्जा होना पाया जाता है जिससे उक्त न्यायिक दृष्टांत भी अपीलार्थी को मदद नहीं करता है ।

(19) उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रत्यर्थीया के पक्ष में होना पाये जाने से अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील

स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है ।

:: आदेश ::

(20) परिणामतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2022 की पुष्टि की जाती है । पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करे । आदेश की एक प्रति सहित अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख अविलंब लौटाया जावे ।

(एम.आर. सुथार)
जिला न्यायाधीश,
बालोतरा

(21) आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(एम.आर. सुथार)
जिला न्यायाधीश,
बालोतरा

GOVIND SHANKER KIRADOO

Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Date: 2026.03.18 10:15:26 +0530